



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2017/पौष 1, 1939

No. 337]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2017/PAUSA 1, 1939

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

फा. सं. 23/01/2004-आरएंडआर (खण्ड-IV).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खण्ड (55) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा तारीख 25 मई, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित तारीख 25 मई, 2005 की संकल्प सं. 23/1/2004-आरएंडआर द्वारा विद्युत मंत्रालय में उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया गया था;

और उक्त संकल्प का पैरा 3 उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्यों के लिए उपबंध करता है जिसका केन्द्रीय सरकार संशोधन करने का आशय रखती है, अर्थात्:-

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा (2) के खण्ड (55) के उपबंधों के अनुसरण में उक्त संकल्प का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त संकल्प में, पैरा 3 में, खण्ड (VII) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(VII क) भारत सरकार द्वारा, क्षेत्र के साथ विद्युत अंतर-संयोजन रखने वाले देशों के साथ सीमा पार के विद्युत संव्यवहारों का समन्वय करने के लिए, नियुक्त प्रत्येक नोडल एजेंसी का एक प्रतिनिधि।"

शालिनी प्रसाद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल संकल्प भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 में तारीख 25 मई, 2005 की फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर दिनांक 25 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् तारीख 29 नवम्बर, 2005 की संकल्प फा. सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर, तथा तारीख 9 मई, 2008 की फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर (खण्ड-II) तारीख द्वारा संशोधित किये गये थे।

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 21st December, 2017.

F. No. 23/01/2004-R&R (Vol-IV).—WHEREAS, in pursuance of the provisions of clause (55) of section 2 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Northern Regional Power Committee was established by the Government of India in the Ministry of Power *vide* Resolution No. 23/1/2004-R&R, dated the 25th May, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1, Section 1, dated the 25th May, 2005;

AND WHEREAS paragraph 3 of the said resolution provides for the members of the Northern Regional Power Committee which the Central Government intends to amend;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the provisions of clause (55) of section 2 read with sub-section (4) of section 29 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said Resolution, namely:-

In the said Resolution, in paragraph 3, after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(viii) A representative each of every Nodal Agency appointed by the Government of India for coordinating cross-border power transactions with the countries having electrical inter-connection with the region.”

SHALINI PRASAD, Addl. Secy.

Note: The principal Resolution was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 25th May, 2005 *vide* number F. No. 23/1/2004-R&R, dated the 25th May, 2005 and subsequently amended *vide* Resolution numbers F. No. 23/1/2004-R&R, dated the 29th November, 2005 and F. No. 23/1/2004-R&R (Vol-II), dated the 9th May, 2008.

संकल्प

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

फा. सं. 23/01/2004-आरएंडआर (खण्ड-IV).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खण्ड (55) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा तारीख 25 मई, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित तारीख 25 मई, 2005 की संकल्प सं. 23/1/2004-आरएंडआर द्वारा विद्युत मंत्रालय में पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया गया था;

और उक्त संकल्प का पैरा 3 पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्यों के लिए उपबंध करता है जिसका केन्द्रीय सरकार संशोधन करने का आशय रखती है, अर्थात्:—

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा (2) के खण्ड (55) के उपबंधों के अनुसरण में उक्त संकल्प का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त संकल्प में, पैरा 3 में, खण्ड (VII) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(VII क) भारत सरकार द्वारा, क्षेत्र के साथ विद्युत अंतर-संयोजन रखने वाले देशों के साथ सीमा पार के विद्युत संव्यवहारों का समन्वय करने के लिए, नियुक्त प्रत्येक नोडल एजेंसी का एक प्रतिनिधि।”

शालिनी प्रसाद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल संकल्प भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खण्ड 1 में तारीख 25 मई, 2005 की फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर दिनांक 25 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् तारीख 29 नवम्बर, 2005 की संकल्प फा. सं. 23/1/2004-आर एंड आर, तथा तारीख 9 मई, 2008 की फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर (खण्ड-II) तारीख द्वारा संशोधित किये गये थे।

RESOLUTION

New Delhi, the 21st December, 2017.

F. No. 23/01/2004-R&R (Vol-IV).—WHEREAS, in pursuance of the provisions of clause (55) of section 2 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Western Regional Power Committee was established by the Government of India in the Ministry of Power *vide* Resolution No. 23/1/2004-R&R, dated the 25th May, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1, Section 1, dated the 25th May, 2005;

AND WHEREAS paragraph 3 of the said resolution provides for the members of the Western Regional Power Committee which the Central Government intends to amend;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the provisions of clause (55) of section 2 read with sub-section (4) of section 29 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said Resolution, namely:-

In the said Resolution, in paragraph 3, after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(viiia) A representative each of every Nodal Agency appointed by the Government of India for coordinating cross-border power transactions with the countries having electrical inter-connection with the region.”

SHALINI PRASAD, Addl. Secy.

Note: The principal Resolution was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 25th May, 2005 *vide* number F. No. 23/1/2004-R&R, dated the 25th May, 2005 and subsequently amended *vide* Resolution numbers F.No. 23/1/2004-R&R, dated the 29th November, 2005 and F. No. 23/1/2004-R&R (Vol-II), dated the 9th May, 2008.

संकल्प

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

फा. सं. 23/01/2004-आरएंडआर (खण्ड-IV).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खण्ड (55) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा तारीख 25 मई, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित तारीख 25 मई, 2005 की संकल्प सं. 23/1/2004-आरएंडआर द्वारा विद्युत मंत्रालय में दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया गया था;

और, उक्त संकल्प का पैरा 3 दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्यों के लिए उपबंध करता है जिसमें केन्द्र सरकार संशोधन करना चाहती है, अर्थात्:—

अत, अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा (2) के खण्ड (55) के उपबंधों के अनुसरण में उक्त संकल्प का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त संकल्प में, पैरा 3 में, खण्ड (VII) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(VII क) भारत सरकार द्वारा, क्षेत्र के साथ विद्युत अंतर-संयोजन रखने वाले देशों के साथ सीमा पार के विद्युत संव्यवहारों का समन्वय करने के लिए, नियुक्त प्रत्येक नोडल एजेंसी का एक प्रतिनिधि"

शालिनी प्रसाद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल संकल्प भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खण्ड 1 में तारीख 25 मई, 2005 की फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर तारीख 25 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् तारीख 29 नवम्बर, 2005 की संकल्प फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर, तारीख 9 मई, 2008 की फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर (खण्ड-II) तथा तारीख 5 मई, 2017 की फा. सं. 23/18/2017-आरएंडआर द्वारा संशोधित किये गये थे।

RESOLUTION

New Delhi, the 21st December, 2017

F. No. 23/01/2004-R&R (Vol-IV).—WHEREAS, in pursuance of the provisions of clause (55) of section 2 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Southern Regional Power Committee was established by the Government of India in the Ministry of Power *vide* Resolution No. 23/1/2004-R&R, dated the 25th May, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1, Section 1, dated the 25th May, 2005;

AND WHEREAS paragraph 3 of the said resolution provides for the members of the Southern Regional Power Committee which the Central Government intends to amend;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the provisions of clause (55) of section 2 read with sub-section (4) of section 29 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said Resolution, namely:-

In the said Resolution, in paragraph 3, after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(viii) A representative each of every Nodal Agency appointed by the Government of India for coordinating cross-border power transactions with the countries having electrical inter-connection with the region.”

SHALINI PRASAD, Addl. Secy.

Note: The principal Resolution was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 25th May, 2005 *vide* number F.No. 23/1/2004-R&R, dated the 25th May, 2005 and subsequently amended *vide* Resolution numbers F. No. 23/1/2004-R&R, dated the 29th November, 2005, F. No. 23/1/2004-R&R (Vol-II), dated the 9th May, 2008 and F.No. 23/18/2017-R&R dated the 5th May, 2017.

संकल्प

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

फा. सं. 23/01/2004-आरएंडआर (खण्ड-IV).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खण्ड (55) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा तारीख 25 मई, 2005 के भारत को राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित तारीख 25 मई, 2005 की संकल्प सं. 23/1/2004-आरएंडआर द्वारा विद्युत मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया गया था;

और उक्त संकल्प का पैरा 3 पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्यों के लिए उपबंध करता है जिसका केन्द्रीय सरकार संशोधन करने का आशय रखती है, अर्थात्:—

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा (2) के खण्ड (55) के उपबंधों के अनुसरण में उक्त संकल्प का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त संकल्प में, पैरा 3 में, खण्ड (VI) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(VI क) भारत सरकार द्वारा, क्षेत्र के साथ विद्युत अंतर-संयोजन रखने वाले देशों के साथ सीमा पार के विद्युत संव्यवहारों का समन्वय करने के लिए, नियुक्त प्रत्येक नोडल एजेंसी का एक प्रतिनिधि।"

शालिनी प्रसाद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल संकल्प भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खण्ड 1 में तारीख 25 मई, 2005 की फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर तारीख 25 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् तारीख 29 नवम्बर, 2005 की संकल्प फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर, तथा तारीख 9 मई, 2008 की फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर (खण्ड-II) तारीख द्वारा संशोधित किये गये थे।

RESOLUTION

Dated, the 21st December, 2017

F. No. 23/01/2004-R&R (Vol-IV).—WHEREAS, in pursuance of the provisions of clause (55) of section 2 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Eastern Regional Power Committee was established by the Government of India in the Ministry of Power *vide* Resolution No. 23/1/2004-R&R, dated the 25th May, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1, Section 1, dated the 25th May, 2005;

AND WHEREAS paragraph 3 of the said resolution provides for the members of the Eastern Regional Power Committee which the Central Government intends to amend;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the provisions of clause (55) of section 2 read with sub-section (4) of section 29 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said Resolution, namely:-

In the said Resolution, in paragraph 3, after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:-

"(via) A representative each of every Nodal Agency appointed by the Government of India for coordinating cross-border power transactions with the countries having electrical inter-connection with the region."

SHALINI PRASAD, Addl. Secy.

Note:- The principal Resolution was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 25th May, 2005 *vide* number F. No. 23/1/2004-R&R, dated the 25th May, 2005 and subsequently amended *vide* Resolution numbers F. No. 23/1/2004-R&R, dated the 29th November, 2005 and F. No. 23/1/2004-R&R (Vol-II), dated the 9th May, 2008.

संकल्प

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

फा. सं. 23/01/2004-आरएंडआर (खण्ड-IV).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खण्ड (55) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा तारीख 25 मई, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित तारीख 25 मई, 2005 की संकल्प सं. 23/1/2004-आरएंडआर द्वारा विद्युत मंत्रालय में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया गया था;

और उक्त संकल्प का पैरा 3 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्यों के लिए उपबंध करता है जिसका केन्द्रीय सरकार संशोधन करने का आशय रखती है, अर्थात्:-

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा (2) के खण्ड (55) के उपबंधों के अनुसरण में उक्त संकल्प का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त संकल्प में, पैरा 3 में, खण्ड (VI) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(VI क) भारत सरकार द्वारा, क्षेत्र के साथ विद्युत अंतर-संयोजन रखने वाले देशों के साथ सीमा पार के विद्युत संव्यवहारों का समन्वय करने के लिए, नियुक्त प्रत्येक नोडल एजेंसी का एक प्रतिनिधि"

शालिनी प्रसाद, अपर सचिव

टिप्पणः मूल संकल्प भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खण्ड 1 में तारीख 25 मई, 2005 की फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर तारीख 25 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् तारीख 29 नवम्बर, 2005 की संकल्प फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर, तथा तारीख 9 मई, 2008 की फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर (खण्ड-II) तारीख द्वारा संशोधित किये गये थे।

RESOLUTION

New Delhi, the 21st December, 2017

F. No. 23/01/2004-R&R (Vol-IV).- WHEREAS, in pursuance of the provisions of clause (55) of section 2 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the North Eastern Regional Power Committee was established by the Government of India in the Ministry of Power *vide* Resolution No. 23/1/2004-R&R, dated the 25th May, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1, Section 1, dated the 25th May, 2005;

AND WHEREAS paragraph 3 of the said resolution provides for the members of the North Eastern Regional Power Committee which the Central Government intends to amend;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the provisions of clause (55) of section 2 read with sub-section (4) of section 29 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said Resolution, namely:-

In the said Resolution, in paragraph 3, after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:-

“(via) A representative each of every Nodal Agency appointed by the Government of India for coordinating cross-border power transactions with the countries having electrical inter-connection with the region.”

SHALINI PRASAD, Addl. Secy.

Note: The principal Resolution was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 25th May, 2005 *vide* number F. No. 23/1/2004-R&R, dated the 25th May, 2005 and subsequently amended *vide* Resolution numbers F. No. 23/1/2004-R&R, dated the 29th November, 2005 and F. No. 23/1/2004-R&R (Vol-II), dated the 9th May, 2008.